



2026: AHC: 41712

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - **5133** वर्ष **2026**

कैलाश सिंहयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 34 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: भूपेश कुमार सिंह, चित्रकूट विपिनम वासुदेव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., मुन्ना तिवारी, सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - **6**

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या-3 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर भारती को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ कलेक्टर, देवरिया/प्रतिवादी संख्या-2 द्वारा वाद संख्या-1395 वर्ष 2023, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या-D202305200001395 में पारित विवादित आदेश दिनांक 20.12.2025 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या-3 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर भारती द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि जिस आदेश को चुनौती दी गई है, उसके विरुद्ध याचिकाकर्ता के पास उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के प्रावधान के अनुसार आयुक्त के समक्ष निगरानी दायर करने का वैधानिक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. इसके आलोक में, याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध वैधानिक वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर वर्तमान याचिका को खारिज किया जाता है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

फरवरी 24, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"